

## फार्मेट ।

वर्ष 2022-23/2023-24 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से ₹3 लाख तक संवितरित/आहरित अल्पावधि फसल ऋण/परक्राम्य गोदाम रसीदों के बदले फ़सलोत्तर ऋण/प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनःसंरचित ऋणों/गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनःसंरचित ऋणों (प्रत्येक शीर्ष के लिए अलग-अलग दावा प्रस्तुत किया जाना है) पर 1.50% ब्याज सबवेंशन का दावा

बैंक का नाम: \_\_\_\_\_

**मार्च 20\_ को समाप्त वर्ष/  
अतिरिक्त दावे के लिए विवरण**

7% वार्षिक की दर पर कुल अल्पावधि ऋण		दावा की गई सबवेंशन की कुल राशि (वास्तविक रूप में)
खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित/आहरित राशि (लाख रूप में)	
<b>3 लाख रूपए तक के ऋण</b>		

**उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत के लिए वर्ष 2022-23/2023-24 हेतु 1.50% ब्याज सबवेंशन के लिए श्रेणी-वार दावा**

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत के लिए 7% वार्षिक की दर पर कुल अल्पावधि ऋण								
सामान्य			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरित राशि (लाख रूप में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरित राशि (लाख रूप में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरित राशि (लाख रूप में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)
<b>3 लाख रूपए तक के ऋण</b>								

**उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए वर्ष 2022-23/2023-24 हेतु 1.50% ब्याज सबवेंशन के लिए श्रेणी-वार दावा**

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए 7% वार्षिक की दर पर कुल अल्पावधि ऋण								
सामान्य			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरित राशि (लाख रूप में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरित राशि (लाख रूप में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरित राशि (लाख रूप में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)
<b>3 लाख रूपए तक के ऋण</b>								

हम वर्ष 2022-23/ 2023-24 के दौरान किसानों को केसीसी के माध्यम से अल्पावधि ऋण के रूप में 7% के वार्षिक ब्याज दर पर ₹3 लाख तक के उपरोक्त ऋणों के संवितरित होने और आरबीआई के दिनांक 23 नवंबर 2022 के परिपत्र विसविवि.के.का.एफएसडी.बीसी.सं.13/05.02.001/2022-23 के पूर्णतया अनुपालन में ब्याज सबवेंशन दावे की गणना होने के लिए प्रमाणित करते हैं। इसके अतिरिक्त, हम प्रमाणित करते हैं कि आधार संख्या / आधार नामांकन संख्या (आईएन), उन सभी किसानों की जिनके लिए प्रतिपूर्ति हेतु ब्याज सबवेंशन का दावा किया जा रहा है, कैप्चर किया गया है और बैंक के पास उपलब्ध है और जहां आधार संख्या/आईएन उपलब्ध नहीं है, वहां प्रतिपूर्ति के दावे का कोई मामला नहीं है (असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर)।

बैंक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर एवं हस्ताक्षर नाम: \_\_\_\_\_

पदनाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

हम प्रमाणित करते हैं कि \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ की अवधि के दौरान बैंक द्वारा केसीसी के माध्यम से किसानों को संवितरित पात्र अल्पावधि ऋण पर \_\_\_\_\_ रूप के ब्याज सबवेंशन के लिए उपरोक्त दावा सही और सटीक एवं दिनांक 23 नवंबर 2022 के आरबीआई के परिपत्र विसविवि.के.का.एफएसडी.बीसी.सं.13/05.02.001/2022-23 के पूरी तरह से अनुपालन में पाया गया है। इसके अतिरिक्त, हम प्रमाणित करते हैं कि आधार संख्या / आधार नामांकन संख्या (आईएन), उन सभी किसानों की जिनके लिए प्रतिपूर्ति हेतु ब्याज सबवेंशन का दावा किया जा रहा है, कैप्चर किया गया है और बैंक के पास उपलब्ध है और जहां आधार संख्या/आईएन उपलब्ध नहीं है, वहां प्रतिपूर्ति के दावे का कोई मामला नहीं है (असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर)।

सांविधिक लेखा-परीक्षक की मुहर और हस्ताक्षर नाम: \_\_\_\_\_

फर्म पंजीकरण संख्या: \_\_\_\_\_

सदस्यता संख्या: \_\_\_\_\_

यूडीआईएन: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_